

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग  
मंत्रालय  
वल्चम भवन, भीषाल-462001

क्रमांक एक-30/4/99/10/3  
प्रति,

भीषाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1999

आपके प्रधान मुख्य वन रक्षक [उत्थावन]  
मध्यप्रदेश, भीषाल,

विषय :- अनरोध मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन ।


संदर्भ :- आपकी टीष क्रमांक 262/दिनांक 12-5-99.

उपरोक्त विषय में संशोधित टीष का कृपया अनलोकन करें । अनरोध मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में विधिवानुसार संशोधन किया जाता है :-

- 1- अनरोध दरों का निर्धारण प्रत्येक 6 माह हेतु निम्न 6 माहों की प्राप्त दरों के औसत को ध्यान में रखते हुए वर्ष में दो बार क्रमशः । अप्रैल एवं । अक्टूबर को किया जाए ।
- 2- महाराष्ट्र में अपनायी जा रही पद्धति अनुसार नीलाम के दौरान अनरोध मूल्य धिंधिल नहीं किया जाये ।
- 3- बाट प्रत्याकित किये जाने से प्रथम दो नीलामों में अनरोध मूल्य से नीचे कोई बाट स्वीकृत नहीं किया जाये ।

उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 10-2-99 को आयोजित अंतर्निर्भागीय समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई है । यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर 8 माह के लिए तथा इसके पश्चात् प्रस्ताव परिणामों की समीक्षा अंतर्निर्भागीय समिति में की जाए और उसके पश्चात् स्थाई व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार किया जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
अनुराग श्रीवास्तव  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग